

राष्ट्रीय महिला आयोग  
22 मार्च, 2024 को आयोजित आयोग की  
236वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. सुश्री रेखा शर्मा    | - अध्यक्ष    |
| 2. सुश्री खुशबू सुंदर   | - सदस्य      |
| 3. सुश्री डेलिना खोंदुप | - सदस्य      |
| 4. सुश्री ममता कुमारी   | - सदस्य      |
| 5. सुश्री मीनाक्षी नेगी | - सदस्य सचिव |

अन्य उपस्थित:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. श्री ए. अशोली चलाई     | - संयुक्त सचिव                 |
| 2. श्री राजेश सिंह बिष्ट  | - वेतन एवं लेखा अधिकारी        |
| 3. श्री आशुतोष पांडे      | - अवर सचिव (सा.प्र.)           |
| 4. सुश्री शालिनी रस्तोगी  | - अवर सचिव (स्था.)             |
| 5. श्री मनमोहन वर्मा      | - विधि अधिकारी                 |
| 6. सुश्री कंचन खट्टर      | - वरिष्ठ समन्वयक               |
| 7. सुश्री एम. लीलावती     | - वरिष्ठ समन्वयक               |
| 8. सुश्री देबलीना बनर्जी  | - परामर्शदाता                  |
| 9. सुश्री टुनिका उपाध्याय | - परामर्शदाता                  |
| 10. सुश्री अन्नया सिंह    | - परामर्शदाता                  |
| 11. सुश्री सना गुप्ता     | - सलाहकार (मीडिया/सोशल मीडिया) |
| 9. श्री शिवम गर्ग         | - सलाहकार (मीडिया/सोशल मीडिया) |
| 10. सुश्री सुरचि पुंज     | - अध्यक्ष की निजी सहायक        |
| 11. श्री अतुल सिन्हा      | - वरिष्ठ प्रोग्रामर            |
| 12. श्री राजेश कपूर       | - वरिष्ठ सलाहकार               |

प्रारंभ में, सदस्य सचिव ने आयोग की 236वीं बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया।

बैठक के दौरान प्रत्येक कार्यसूची मद पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. कार्यसूची मद सं.- 236//1

विषय: 23 फरवरी 2024 को आयोजित आयोग की 235वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

23 फरवरी 2024 को आयोजित आयोग की 235वीं बैठक के कार्यवृत्त की आयोग द्वारा पुष्टि की गई।

2. कार्यसूची मद सं.- 236/1/2

विषय: कार्रवाई रिपोर्ट

23 फरवरी 2024 को आयोजित आयोग की 235वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया।

3. कार्यसूची मद सं.- 236/1/3

विषय: रा.म.आ में लाइब्रेरी, क्रेच और जिम का नवीनीकरण/संशोधन

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और रा.म.आ कार्यालय परिसर में लाइब्रेरी, जिम और क्रेच के निर्माण/संशोधन कार्य के लिए रुपये 69,37,954/- (रुपये उनहत्तर लाख सैंतीस हजार नौ सौ चौवन मात्र) की राशि की कार्योत्तर मंजूरी दी।

4. कार्यसूची मद सं.- 236/1/4

विषय: मैसर्स श्री जी कूलिंग के साथ एयर कंडीशनर के वार्षिक रखरखाव अनुबंध को 22.02.2024 से 21.08.2024 तक 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के विस्तार के लिए

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और मैसर्स श्री जी कूलिंग, पानीपत, हरियाणा को एयर कंडीशनर के वार्षिक रखरखाव अनुबंध को 22.02.2024 से 21.08.2024 तक 6 महीने की अवधि के विस्तार के लिए रु. 2,64,842/- (रुपये दो लाख चौसठ हजार आठ सौ बयालीस मात्र) की कार्योत्तर मंजूरी दी।। इस बीच GeM पोर्टल से नया प्रस्ताव प्राप्त किया जाए।

5. कार्यसूची मद सं.- 236/1/5

विषय:- हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स लैबिक्यूपि सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड और अन्य जनशक्ति के लिए मैसर्स दर्शन सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के अनुबंध का विस्तार और मैसर्स बुद्धा सेल्स कॉर्पोरेशन को हाउसकीपिंग सेवाएं और अन्य जनशक्ति प्रदान करने के लिए नया अनुबंध प्रदान करना।

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया: -

i) मैसर्स लैबिक्यूपि सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड को जनशक्ति सेवाएं और मैसर्स दर्शन सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को अन्य जनशक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा नियमों और शर्तों पर 01.01.2024 से 31.03.2024 तक 3 (तीन) महीने की अवधि तक अनुबंध का विस्तार

और

ii) मैसर्स बुद्धा सेल्स कॉर्पोरेशन को दो वर्षों के लिए 01.04.2024 से 31.03.2026 तक हाउसकीपिंग सेवाएं और अन्य जनशक्ति प्रदान करने के लिए रु. 1,12,61,664/- (रुपये एक करोड़ बारह लाख इकसठ हजार छह सौ चौसठ मात्र) का अनुबंध प्रदान किया।



6. कार्यसूची मद सं.- 236/II/6

विषय:- 31 जनवरी 2024 को मनाए गए रा.म.आ के स्थापना दिवस के लिए लघु फिल्म का निर्माण

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और रा.म.आ के कामकाज पर लघु फिल्म के निर्माण के लिए जिसको 31 जनवरी, 2024 को रा.म.आ के स्थापना दिवस पर जारी किया गया था। पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में एनएफडीसी को रुपये 3,09,750/- (रुपये तीन लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) को कार्यान्वयन मंजूरी दी।

7. कार्यसूची मद सं.- 236/II/7

विषय: विभिन्न सरकारी विभागों में महिला अधिकारी और पूरे भारत में स्वैच्छिक संगठनों में काम करने वाली महिलाओं, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और संबद्ध उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित को मंजूरी दी:-

- i. रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी) और उनके ज्ञान साझेदार अर्थ साइट फाउंडेशन के सहयोग से पूरे भारत में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और संबद्ध उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ii. पहले चरण में 5 कार्यक्रमों के लिए कुल बजटीय निहितार्थ रुपये 25,06,900/- (रुपये पच्चीस लाख छह हजार नौ सौ मात्र) और अग्रिम राशि के रूप में पहली किस्त रुपये 12,53,450/- (रुपये बारह लाख तिरपन हजार चार सौ पचास मात्र) जारी करने हेतु।

8. कार्यसूची मद सं.- 236/II/8

विषय: 19 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग और रेलवे सुरक्षा बल के बीच समझौता ज्ञापन

आयोग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर संज्ञान लिया।

9. कार्यसूची मद सं.- 236/III/1

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत शीर्षकवार बजट आबंटन, चौथी तिमाही के लिए उपलब्ध कुल धनराशि, फरवरी 2024 महीने के लिए किया गया व्यय और 29 फरवरी 2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष राशि

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट आबंटन, चौथी तिमाही के लिए उपलब्ध कुल धनराशि, फरवरी 2024 महीने के लिए किए गए व्यय और 29 फरवरी 2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष निधि पर संज्ञान लिया।

चर्चा के दौरान, डेटा एंट्री ऑपरेटरों / सलाहकारों / अन्य अनुबंध कर्मचारियों के वेतन / पारिश्रमिक के भुगतान को योजना व्यय (जीआईए - सामान्य ओई - 2235.02.103.71.01.31) के बजाय गैर-योजना व्यय (जीआईए - सामान्य ओई - 2235.02.103.35.0031) से करने का पता लगाने का निर्णय लिया गया।

10. कार्यसूची मद सं.- 236/III/2

विषय: मासिक रिपोर्ट- शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत और जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (फरवरी 2024) पर संज्ञान लिया।

चर्चा के दौरान, माननीय अध्यक्ष ने हर महीने अधिक सुनवाई आयोजित करने को कहा।

11. कार्यसूची मद सं.- 236/III/3

विषय: संदेशखाली मामले पर जांच रिपोर्ट

आयोग ने जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लिया।

12. कार्यसूची मद सं.- 236/III/4

विषय: पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाओं के गर्भवती होने, 196 बच्चों के जन्म पर जांच रिपोर्ट

आयोग ने जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर अधिक विस्तृत कार्य करने की आवश्यकता है और चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

निर्णय लिया गया कि आयोग की अगली बैठक 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 11.00 बजे होगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

मीनाक्षी नेगी  
सदस्य सचिव

रेखा शर्मा  
अध्यक्ष